

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 07/2021-सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2021

सा. का. नि. (अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई हैं, उन बातों के सिवाय जिनका ऐसे विखंडन के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी सा.का.नि. सं. द्वारा स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है, का विखंडन करती है

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	सा.का.नि. सं.
(1)	(2)	(3)
1.	1/2011-सीमा-शुल्क, तारीख 6 जनवरी, 2011	6(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011
2.	34/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017	769(अ), तारीख 30 जून, 2017
3.	75/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 13 सितम्बर, 2017	1153(अ), तारीख 13 सितम्बर, 2017

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/2/2021-टी.आर.यू.]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार